

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रत्युक्त रिपोर्ट दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहाने उपस्थित पत्रकारान खुनी गड़ी तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मोतीलाल एवं मनराज एक ही व्यक्ति ही अतः नाम संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या की जमाबंदी संवत् 2076-79 के के खाता सं. 2 की खसरा सं. 181, 183, 184, 186 कुल बिस्वा 5-00, 7-00, 5-08, 7-05 कुल बिस्वा 04 कुल रुकवा 24 बीघा 13 बिस्वा ग्राम में दर्ज "मौतीलाल" के स्थान पर "मौतीलाल उर्फ मनराज" तथा अपर्यागिण मुकेश व रेखा के "नाबालिग" के नोट को हटाकर "बालिग" दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

अखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)